

न्यायालय तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुझुनूं

पीठासीन अधिकारी

:::

चन्द्रशेखर (तहसीलदार)

मिसल नं.

:::

65 / 2024

सरकार

बनाम्

कृष्ण पुत्र राजकंवर, जाती- अहिर, निवासी- वार्ड  
नं- 23 सूरजगढ़

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 23.08.2024

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल कृष्ण पुत्र राजकंवर, जाती- अहिर, निवासी- वार्ड नं- 23 सूरजगढ़ द्वारा रोही मौजा सूरजगढ़ की भूमि ख.नं. 349 कुल रकबा 3.29 है0 किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.0400 है0 भूमि पर तार बाड़ करके अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः गैर सायल के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।


अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 12 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2024को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(चन्द्रशेखर)

तहसीलदार, सूरजगढ़

श० ले० सं० 4 के वृत्त सं..... 06  
सं. 20.2.4-25 के रूप में 0.12 कायम किए  
  
राजस्व लेखाकार